न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 146/2022 (23/18 old)

1. शिवकुमार पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. विनोदकुमार पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा हाल चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला
5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– दिनांक 21.10.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 2 तीनों का निरन्तर सामूहिक रूप से पारिवारिक संयुक्त रहवास रहा और समस्त खरीदफरोख्त जमीन भूखण्ड आदि सांझे खाते में ही करते रहे और एक भाई के खाते में जमीन जायदाद रिकॉर्ड में दर्ज करवाते रहे। जब बच्चे बड़े हुये जो दिनांक 22.12. 2006 को तीनो भाईयों में घरेलु बंटवारा व समझौता लिखित में हो गया और उसी अनुसार काफी मकान, जमीन जायदाद तीनों भाईयों में बराबर बांट ली गयी। जिसमें लिखित ईकरारनामा की चार नम्बर शर्त अनुसार राजस्थान की भूमि भी तीनों भाईयों में बराबर बांट लेने का निर्णय हुआ। चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 के किला नं0 15 में 8 बिस्वा, 16 में 18 बिस्वा, 17 में 6 बिस्वा, 23 में 5 बिस्वा, 24 में 8 बिस्वा, किला नं0 25 सालम तादादी 3.05 बीघा व मु0नं0 102/10 के किला नं0 1 में 15 बिस्वा, 2 में 16 बिस्वा, 3 में 12 बिस्वा, 4 ता 10 सालम, 11 में 17 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 18 बिस्वा, 14 ता 17 सालम, 18 में 18 बिस्वा, 19 में 16 बिस्वा, 20 में 16 बिस्वा, 21 में 7 बिस्वा, 22 में 15 बिस्वा, 23 ता 25 में 18–18 बिस्वा तादादी 22.04 बीघा कुल तादादी 25.09 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 3 के नाम 1/2 दर्ज कागजात है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 12 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है और उसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा यानि 4 बीघा 5 बिस्वा घरेलु बंटवारे मुताबिक बनता है। जिसपर लम्बे अरसे से प्रार्थी काबिज काश्त है जिसपर प्रार्थी 25–26 वर्षो से भौतिक रूप से काबिज रहा है। इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के द्वार सांझे खाते में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार खरीद कर केवल अप्रार्थी सं0 1 के नाम बैयनामा करवाया गया था जबकि अ[illegible] का था जो बाद में घरेलु बंटवारे अनुसार तय कर दिया गया। प्रार्थी उक्त भूमि में [illegible] का एकमात्र मालिक है और प्रार्थी ने इसको खेती लायक करने में लाखो [illegible] का अमूल्य समय सही व्यतित कर दिया। प्रार्थी सं0 1 आज–कल करते [illegible] और प्रार्थी के हिस्से को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया अब जमीन की कीमत बढ़ने के कारण उसके मन में लालच आ[illegible] और वह अप्रार्थी सं0 3 के साथ मिलकर बिना हिस्सा खुलवाये स[illegible] भूमि को हस्तान्तरण क[illegible] फिराक में है। बंटवारा दिनांक 22.12.2006 कें मुताबिक जरिये घोषणात्मक अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज 12 बीघा 15 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा यानि 4 बीघा 5 बिस्वा अपने नाम दर्ज करवा कर खातेदार होने का विधिक अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि पर प्रार्थी 25–26 वर्षो से काबिज काश्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व प्रार्थी अदा करता है और ना ही इतने लम्बे अरसे तक कोई विवाद हुआ है। बाई एडवर्स पजेशन उक्त भूमि का एकमात्र मालिक काबिज काश्तकार प्रार्थी है। प्रार्थी की कब्जा काश्त उक्त भूमि को दौराने वाद अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन और अधिकारों की घोषणा के बिना रहन, बैय व हस्तांतरण नहीं करे, और अप्रार्थी दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे प्रार्थी के हक–हकूकों, कब्जाकास्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े।

अप्रार्थी सं0 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 2 भाई है परन्तु प्रार्थी शादी के बाद से ही अलग रहता है व हमेशा ही अलग–अलग अपनी अपनी मेहनत से जमीन व सम्पति खरीद करते रहे है। प्रार्थी अपने व अपनी पत्नी पुत्रों के नाम से जमीन व अन्य सम्पति खरीद करता रहा है। पैतृक गांव में भी इस के हिस्से की भूमि प्रार्थी स्वंय काश्त करता है जो बहुत पहले विभाजन कर प्रार्थी ले चुका है दिनांक 22.12.2006 को कोई विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य नहीं हुआ है ना ही ऐसे विभाजन का कही कोई निष्पादन आजतक हुआ है केवल मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से व प्रार्थी (अप्रार्थी नं0 1 व 3) को तंग परेशान की नियत से विभाजन का कथन ब्यान किया है व विभाजन कुट रचित है। चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 व 102/10 की 25.09 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने अपनी जमापूंजी से स्वंय खरीद की है जिसमें प्रार्थी का कोई हिस्सा पांती नहीं है ना ही प्रार्थी का कोई हक अधिकार है उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 3 हि.ब.हिस्सा बराबर काबिज काश्त है किसी अन्य की कोई शरारत नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण बहुत पहले से ही अलग–अलग रहते रहे है तो साझे खाते की खरीद का कथन निराधार है केवल प्रार्थीगण (अप्रार्थी सं0 1 व 3) को तंग परेशान करने के आश्य से झूठा दावा पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थीगण (अप्रार्थी सं0 1 व 3) की भूमि से कोई लेना देना नहीं है जबकि प्रार्थी ने चक 15 केवाईडी का मु0नं0 118/53 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड स्वंय के नाम तथा पत्नी कमला के नाम से चक 15 केवाईडी का मु0नं0 117/55 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 21 की 17.10 बीघा कमाण्ड तथा चक 8 केजेडी ए का मु0नं0 102/18 के किला नं0 1 ता 15 की 14.14 बीघा अनकमाण्ड में 1/2 हिस्सा तथा अपने दोनो पुत्रों सुधीरकुमार एवं सत्यदीप के नाम चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 118/23 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि चक 3 केजेडी के मु0नं0140/21 किला 16, 17 की 1.18 बीघा कमाण्ड भूमि शिवकुमार के नाम व पत्नी कमला के नाम चक 3 केजेडी के मु0नं0 120/21 किला नं0 1,10,11 की 2.09 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 140/21 किला नं0 18 ता 25 की 5.10 बीघा कमाण्ड व 1.18 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार शिवकुमार प्रार्थी व उसकी पत्नी तथा पुत्रों के पास तहसील हाजा क्षेत्र में कुल 77.07 बीघा कमाण्ड तथा 9.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा है जो कि प्रार्थी ने खरीद कर रखी है तथा प्रार्थी अब प्रार्थीगण (अप्रार्थी सं0 1 व 3) की खरीदशुदा चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 व 102/10 की 25.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि जिसमें प्रार्थीगण(अप्रार्थी सं0 1 व 3) का आधा आधा हिस्सा से नाजायज हिस्सापांति काल्पनिक बंटवारा से प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी ने पूर्णतः काल्पनिक मनगढ़त तथ्य अंकित किये है जबकि वास्तविक रूप प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 3 की खातदेरी भूमि है व प्रार्थी ही काबिज है प्रार्थी ने उक्त भूमि प्रार्थनागत के किला नं0 10 मे से कुछ हिस्सा जबरदस्ती कुटरचना कर विक्रय कर दिया था जिसका प्रार्थीगण(अप्रार्थी सं0 1 व 3) ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर नं0 125/15 जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.सं. में दर्ज करवाई थी। जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थी के खिलाफ चार्ज शीट पेश न्यायालय की गई थी। जो न्यायालय में जैरकार है उक्त मुकदमा में दबाव बनाकर राजीनामा करने की नियत से यह झूठा मुकदमा किया है तो बॉर्ड बाई लॉ है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना प्रार्थी मय हर्जाखर्चा खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने वाद प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे एवं वाद के फैसले तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश फरमावे। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी उक्त भूमि का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा राजस्थान की उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा पांति बंटवारा अनुसार है। अप्रार्थी ने यदि उक्त भूमि बेच दी प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी की हिस्सा पांति है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र मनगढ़त व काल्पनिक है। उक्त भूमि हमारी (अप्रार्थी सं0 1 व 3) मेरी खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति है और हम रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी कूटरचित पंजाबी में लिखे हुवे बंटवारे प्रस्ताव के आधार पर बंटवारा का विधिक अधिकारी नहीं है। उक्त रकबा हमारे (अप्रार्थी सं0 1 व 3) रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला ही नहीं बनता और हम उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार होने व हमारा कब्जा काश्त होने के कारण सुविधा का संतुलन भी हमारे (अप्रार्थी सं0 1 व 3) पक्ष में है तथा प्रार्थी को स्थगन हटने से कोई क्षति नहीं है क्योंकि उक्त भूमि वर्षो से हमारे नाम व कब्जा काश्त में है किन्तु स्थगन की वजह से हमें (अप्रार्थी सं0 1 व 3) अपूर्णनीय क्षति हो रही है। प्रार्थी द्वारा लिखी हुई मनगढ़त बातों पर तथ्य या वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किये गए है और नाही प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये है तो निषेधाज्ञा के अहम बिन्दू/तथ्य प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति का साबित करते हो। प्रार्थी ने जो कूटरचित बंटवारा पेश किया है उसमें लिखा है खाजूवाला राजस्थान की जमीन में तीनों बराबर बांटेंगे तो प्रार्थी के नाम खाजूवाला राजस्थान में काफी जमीन है लेकिन प्रार्थी ने कहीं उसकी पालना के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है सिर्फ किला नं0 10 मे से कुछ हिस्सा जबरदस्ती कुटरचना कर विक्रय प्रार्थी ने कर दिया था जिसका अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर नं0 125/15 जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.सं. में दर्ज करवाई थी। जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थी के खिलाफ चार्ज शीट पेश न्यायालय की गई थी। जो न्यायालय में जैरकार है उक्त मुकदमा में दबाव बनाकर राजीनामा करने की नियत से यह झूठा मुकदमा किया है जो बॉर्ड बाई लॉ है। अतः हमारा (अप्रार्थी सं0 1 व 3) जवाब प्रार्थनापत्र व बहस के तथ्य स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/1 के किला नं0 15 में 8 बिस्वा, 16 में 18 बिस्वा, 17 में 6 बिस्वा, 23 में 5 बिस्वा, 24 में 8 बिस्वा, किला नं0 25 सालम तादादी 3.05 बीघा व मु0नं0 102/10 के किला नं0 1 में 15 बिस्वा, 2 में 16 बिस्वा, 3 में 12 बिस्वा, 4 ता 10 सालम, 11 में 17 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 18 बिस्वा, 14 ता 17 सालम, 18 में 18 बिस्वा, 19 में 16 बिस्वा, 20 में 16 बिस्वा, 21 में 7 बिस्वा, 22 में 15 बिस्वा, 23 ता 25 में 18–18 बिस्वा तादादी 22.04 बीघा कुल तादादी 25.09 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थी शिवकुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:21 IST
Reason: SelfAttested